सेवा में,
श्रीमान थाना प्रभारी महोदय,
वीरपुर, सुपौल, बिहार।

विषय: मेरे बड़े भाई श्री त्रिवेश चन्द्र ठाकुर, उम्र- लगभग 60 वर्ष, पिता प्रो० स्व० शारदा नन्द ठाकुर, वार्ड नं- 8 बसंतपुर, सुपौल बिहार, जिनके खिलाफ थाना वीरपुर में मेरे द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गयी थी, जिसका नंबर 332/22 है, द्वारा मेरे छोटे भाई श्री ज्ञानेश चन्द्र ठाकुर, उम्र -लगभग 46 वर्ष, पता- वही, और कुछ पड़ोसियों को साथ लेकर हमारी अनुपस्थिति में मेरे रिहायशी मकान पर अपना ताला लगाने और विरोध करने पर मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने के संबंध में।

Registered Birpur PS case No - 314/2023 dated 01.10.2023 u/s 448/445/323/427/506/406/34 IPC. SI Rajendra Singh will investigate this case.
01.10.2023
(Sandeep Kumar Singh)
Inspector cum SHO Birpur PS.

महाशय,

निवेदन है कि मैं राजेश चन्द्र ठाकुर, उम्र - लगभग 49 वर्ष, पिता - प्रो० स्व० शारदा नन्द ठाकुर, चाणक्यपुरी, वार्ड नं-8, बसंतपुर, थाना- वीरपुर, जिला -सुपौल अपनी 20 वर्षीया बेटी का इलाज करा कर आज सुबह 5 बजे सपरिवार अपने घर लौटा। हमने पाया कि हमारे रिहायशी मकान, जिसमें हमारी रसोई का सामान, गैस-चूल्हा, कपड़े-लत्ते, कागजात सभी रखे हैं, में मेरे दोनों भाइयों ने अपना ताला जड़ दिया है। जब हमारे आवाज देने और कहने पर भी उन्होंने ताला नहीं खोला तो लाचारी में मैंने ताला तोड़ना चाहा। इतने में मेरे बड़े और छोटे भाई, बड़े भाई की पत्नी आशा देवी, और

Scanned with CamScanner

मेरे भाई का बेटा प्रणव कौशिक (उम्र लगभग - 32 वर्ष) हमारे साथ मारपीट और गाली गलौज करने लगे। दोनों भाइयों ने मिल कर पहले मुझे लात और मुक्कों से मारना शुरू किया और मेरा हाथ मरोड़ने लगे। वे कह रहे थे कि यहाँ से भाग जाओ नहीं तो लाश का भी पता नहीं चलेगा। जब मेरी पत्नी और बेटे मुझे बचाने दौड़े तो दोनों भाइयों और भतीजे ने मेरी पत्नी और बेटी को भी लिट में मुक्के से मार और पत्नी की दायीं बाँह जोर से मरोड़ कर तोड़ने की कोशिश की। मेरी बेटी जो इस घटना का वीडियो बना रही थी, उसके हाथ से मेरे बड़े भाई ने मोबाइल छीन कर पटक दिया और उसे जोर से धक्का दिया, जबकि मेरी बेटी लगभग २० दिनों से गंभीर रूप से बीमार है। दोनों भाइयों ने हमारा बैग और सामान फेंक दिया और धमकी दी कि अगर एक घंटे के अंदर यहाँ से भागे नहीं तो अंजाम बहुत भयानक होगा। ज्ञात हो कि हमारे दो पड़ोसी, जो मेरे पिताजी से पुश्तैनी की भावना रखते आये हैं और जिनके नाम क्रमशः प्रो० डी० झा और श्री उमेश झा हैं, ये दोनों मेरे बड़े भाई की गुंडागर्दी की आज तक खुला समर्थन देते आ रहे हैं और इनकी शह के कारण ही मेरे बड़े भाई ने लगभग 12 वर्षों तक मेरे पिताजी को बंधक बना कर उनका सारा पेंशन और राशि भी लूट लिया। सुबह के 5 बजे से हम लोग यानी मेरा परिवार भूखा-प्यासा घर के बाहर पड़ा है और अभी शाम के 4 बजे तक मेरे भाइयों ने हमारे घर का ताला नहीं खोला है।

2023/10/15 12:15

Scanned with CamScanner

2023/10/15 12:16

विदित हो कि 18 साल पहले हमारे माता-पिता ने मिल कर वसीयत द्वारा पंचों के समक्ष अपनी सारी चल-अचल संपत्ति का तीन-बेटों में बँटवारा कर दिया था, लेकिन मेरे दोनों भाई मेरा हिस्सा आज तक अलग करने नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पिताजी के पेंशन-राशि में भी बँटवारे के अनुसार मुझे हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। वर्ष 2000 में सपरिवार दिल्ली से पटना लौटने के बाद से मेरे पिताजी मेरे साथ ही रहते आ रहे थे। जब पिताजी ने बँटवारे के अनुसार मेरा हिस्सा अलग करने और मेरा मकान बना कर देने की बात बड़े भाई के सामने रखी तो वे खून-खराबा करने पर उतारू हो गये। इसकी शिकायत करने के लिये मेरे पिताजी ने 15 जून, 2021 को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय, सुपौल से भेंट कर मदद माँगी थी। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय की जाँच में पिताजी के और मेरे सभी आरोप सही पाये जाने के बाद उनके निर्देश पर तत्कालीन डीएसपी साहब और थाना प्रभारी महोदय, बीपुर की उपस्थिति में एक पारिवारिक समझौता कराया गया था, लेकिन बाद में मेरे बड़े और छोटे भाई ने उसकी शर्तों का पालन करने से इनकार कर दिया।

विदित हो कि मई, 2022 में मेरे पिताजी का बीमारी की अवस्था में देहांत हो जाने के बाद उनके द्वारा बनाया जा रहा मेरे हिस्से का मकान भी अधूरा रह गया और उनका 4 लाख 64 हजार का कर्ज भी नहीं चुकाया जा रहा है, जो उन्होंने मकान बनाने और अपने इलाज के लिये लिये

Scanned with CamScanner

थे, जबकि सूत्रों के अनुसार स्व० पिताजी के पेंशन एरियर का लगभग 20लाख रुपया मेरे बड़े भाई ने बैंक के साथ धोखाधड़ी कर अब तक उठा लिया है। वे न मेरे हिस्से का मकान बनाने दे रहे हैं, न पिताजी का कर्ज चुका रहे हैं, जिसके कारण उनकी प्रतिष्ठा पर गंभीर चोट पहुँची है। पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद मेरे बड़े भाई की तानाशाही बढ़ती ही जा रही है और वे पड़ोसियों - प्रो० बी० झा और उमेश झा के साथ मिल कर मेरे हिस्से की सारी सम्पत्ति हड़पने और मुझे यहाँ से भगाने की रात दिन साजिश कर रहे हैं। मेरे द्वारा दर्ज कराये गये एफआइआर की न जाँच हुई और न कोई कार्रवाई की गयी, जिसके कारण मेरे भाइयों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। आज वे मेरे परिवार को खत्म करने के लिये हिंसा करने में भी नहीं हिचक रहे हैं।

अतः श्रीमान थाना प्रभारी महोदय से प्रार्थना है कि मेरे बड़े भाई श्री दिनेश चन्द्र ठाकुर, उनकी पत्नी श्रीमती आशा देवी, मेरे छोटे भाई श्री रामेश चन्द्र ठाकुर और मेरे भतीजे प्रणव कौशिक के खिलाफ मेरे और मेरे परिवार के साथ मार पीट करने, गाली-गलौज करने, जान से मारने की कोशिश करने, हमारा हिस्सा और पेंशन एरियर न देने और हमारी अनुपस्थिति में हमारे रिहाइश पर अपना ताला लगा देने और हमें भूखा-प्यासा मारने की साजिश करने हेतु एफआइआर दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई की जाये तथा हमारे घर का तुरंत ताला खुलवाकर हमारी प्राणरक्षा की जाये।

मो०-8368225930
व्हाट्सएप- 9599346329

विश्वासभाजन,
राजेश चन्द्र ठाकुर
वार्ड नं०-8, बसंतपुर, थाना-नीपुर.
तिथि:- 01-10-2023

Scanned with CamScanner